समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 87/आ०प्र०, दिनांक- 10.12.2013 के चालू वित्तीय वर्ष 2013 -14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 विपत्ती के कारण राहत , उप मुख्य -02 - बाढ़ चक्रावात आदि , लघु शीर्ष -101- अनुग्राहिक राहत ,उपशीर्ष -0003 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड - एन0-22450201010003 के अन्तर्गत इस जिला को मो0 - 1,50,000/- (**एक लाख पचास हजार**)रू0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है । यह आवंटन फाईलीन (phailin) चक्रवाती तुफान के मद्देनजर अंचल अधिकारी , मधेपुरा के पत्रांक 594-2 दिनांक 18.10.13 के द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निम्नांकित शर्तो के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय / पदाधिकारी को आवंटित किया जाता है :-

क्र.	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल उपआवंटित राशि
01	अंचल अधिकारी ,मधेपुरा	शून्य	1,50,000/-	1,50,000/-
	कुल योग :-		1,50,000/-	1,50,000/-

उपावंटन की शर्ते :-

1. उपरोक्त आवंटन वित्त विभागीय पत्रांक 2561वि0(2)दिनांक 17-04-1998 एवं ज्ञापांक 2/आ0प्र0, दिनांक 06.04.10 एवं 164/ आ0 प्र0 , दिनांक 10.03.11 के आलोक में किया जाना है ।
2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में वर्ष मुख्य बजट शीर्ष 2245 विपत्ती के कारण राहत , उप मुख्य -02 - बाढ़ चक्रावात आदि , लघु शीर्ष -101- अनुग्राहिक राहत ,उपशीर्ष -0003 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड - एन0-22450201010003 मांग संख्या 39 मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3. संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपांटित राशि का नियमानुसार व्यय एवं समायोजन करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेबारी होगी ।

4. उपआवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर जो दिनांक 27.06.07 से प्रभावी है , के आलोक में किया जाय जिस मद के लिए निकासी राशि का उपआवंटन किया गया है किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेबार होंगे । व्यय की गई राशि का डी0 सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय , बिहार पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आपदा प्रबंधन कार्यालय , मधेपुरा को भी दी जाए ।

5. उपावंटित राशि की निकासी संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष /लधु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित कियाा जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेबार होंगे ।

6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.13 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेबार होंगे । राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए ।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए ।

जिला पदाधिकारी ,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 672 दिनांक 20-12-2013

प्रतिलिपि : - अंचल अधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित ।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा / प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन , बिभाग , बिहार , पटना को सादर सूचनार्थ ।

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।